

राजस्व लोक अदालत-2015

लोक अदालत के समक्ष  
स्थान जिला मुख्यालय टोंक

याची/वादी/परिवादी:- रामदेव पुत्र शोदान जाति मोगा निकसी जूनिआ तहसील डूनी  
प्रतिवादी/प्रत्यर्थी:- तहसीलदार डूनी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक की कार्यवाही संख्या:- 39/2015

उपस्थित:- श्री पवन कुमार जैन अतिरिक्त अपीलाइट /श्री मजर आलम रेडो राजकीय चोरोकार रेल्पो

अध्यक्ष का नाम:- श्री भगवान सहाय शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

सदस्य का नाम:- अभिभाषक श्री कैलाश प्रताप शर्मा


अधिनिर्णय

दिनांक 10-06-2015

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

अपीलाइट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर अणस्त की जाती है कि अपीलाइट तहसीलदार के समक्ष इस आश्चर्यचकित प्रस्तुत करेगा कि उसका विवादित भूमि पर कोई पक्का निर्माण न कब्जा नहीं है, और कि उससे कब्जा हटा लिया है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा। तहसीलदार भी जांच कर सुनिश्चित कर ले कि अपीलाइट का विवादित भूमि पर कब्जा नहीं है। कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में तहसीलदार का निर्णय अंतिम रहेगा। रुबागन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

याची/वादी/परिवादी

  
पवन कुमार जैन  
रेडो



  
सदस्य



प्रतिवादी/प्रत्यर्थी



अध्यक्ष

अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
टोंक